संचिका संख्या-प्रा०/आग्रम (विविध)-15/99/...289...../वि0,(आ.)

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

<u>संकल्प</u>

पटना, दिनांक - 22.01.2002

विषय :- राज्य सरकार के सेवीवर्ग के लिए केन्द्र के अनुरूप मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम की अधिसीमा का उत्क्रमण तथा शर्त्तों का निर्धारण ।

वेतन पुनरीक्षण तथा मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए मोटर साईकिल अग्रिम की राशि में वृद्धि का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था । राज्य के सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवा शर्त्तों के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के राज्य सरकार के सैद्धान्तिक निर्णय के आलोक में उन्हें भी केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गयी है ।

2. इस अग्रिम हेतु राज्य कर्मियों को वर्तमान में अधिकतम 22000/- रूपये स्वीकृत किये जाते हैं । राज्य सरकार द्वारा इस सीमा को बढ़ाकर 30,000/- रूपये करने का निर्णय लिया गया है । नियम एवं शर्त्तें केन्द्र के अनुरूप निम्न प्रकार होंगीः

क. यह अग्रिम 4600/-रू0 या अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को ही देय होगा ।

ख. प्रथम अग्रिम 30,000/- रूपये या 6 माह का मूल वेतन या संभावित मूल्य, जो भी कम हो, देय होगा ।
द्वितीय (अनुवर्ती) अग्रिम 24,000/- रूपये या 5 माह का मूल वेतन या संभावित मूल्य, जो भी कम हो, देय होगा ।

ग. अग्रिम की वसूली भुगतान के अगले माह से अधिकतम 70 किस्तों में की जायेगी ।

घ. निलंबित कर्मचारियों को यह अग्रिम देय नहीं होगा ।

ड़ पूर्व स्वीकृत अग्रिम के मूल एवं सूद की पूरी वसूली हुए बिना द्वितीय मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

च. यह अग्रिम उन्हीं कर्मियों को अनुमान्य होगा, जो स्थायी हों । अस्थायी कर्मियों को उसी विभाग के समान या उच्च स्तर के स्थायी कर्मी से जमानत पत्र प्राप्त कर यह अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा ।

छ. अग्रिम भुगतान की तिथि से दो माह या उल्लिखित वाहन खरीदने की तिथि से एक माह के अंदर पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृति पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा भुगतान तथा निबंधन के बीच की अवधि के लिए 2.5 प्रतिशत दण्ड सूद देय होगा ।

3. अग्रिम पर देय सूद तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर, जो इसमें अंकित नही है, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नियम लागू होंगे ।

4. अग्रिम पर 9.5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा । किस्तों की नियमित अदायगी न होने पर दंडस्वरूप 2.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सूद लगेगा । इस संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जा रहा है और सूद के मामले में वही प्रभावी होगा ।

5. अग्रिम संबंधी सुविधाएँ एवं प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे । इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश संख्या-6549 दिनांक 4.10.1990 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.1.2002

(रमा कांत सिंह)
उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक - 289 वि0(अ0) पटना, दिनांक- 22.01.2002

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची तथा पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.1.2002

(रमा कांत सिंह)
उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक - 289 वि0(अ0) पटना, दिनांक- 22.01.2002

प्रतिलिपि - सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.1.2002

(रमा कांत सिंह)
उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक - 289 वि0(अ0) पटना, दिनांक- 22.01.2002.

प्रतिलिपि - सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/राज्यपाल के सचिव/सचि बिहार विधान सभा एव परिषद्, पटना/सभी समाहर्ता/सभा आरक्षी अधीक्षक तथा संयुक्त सचिव, विभाग (स्थापना) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.1.2

(रमा कांत सिंह)
उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक - 289 वि0(अ0) पटना, दिनांक- 22.01.2002.

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को भेजी जायँ ।

19.1.2002

(रमा कांत सिंह)
उप सचिव, वित्त विभाग ।